न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 13.09.2022

अपील संख्या 2022/160

उनवान

कालीबाई पुत्री उदा पत्नी विष्णु, जाति मेघवाल, निवासी डग वर्तमान निवासी गुराडिया जोगा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राज0 .... अपीलांट

बनाम

ग्राम पंचायत डग द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत डग, पंचायत समिति डग, तहसील डग, जिला झालावाड राज0 .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री रमेश चन्द मेघवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 09.02.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डग के प्रकरण संख्या – 2020/00098 /वाद पत्र निर्णय दिनांक 03.08.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीवादिनी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी. पी. सी. पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम डग, पटवार क्षेत्र डग की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1135/2 रकबा 0.4426 हेक्टेयर के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डग ने अपने निर्णय दिनांक 03.08.2022 से वादी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मनमाना, अविवेकपूर्ण, खिलाफ कानून व रेकार्ड पारित किया गया है, इस कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया अपीलांट ने अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 1135/2 रकबा 0.4426 हेक्टेयर के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की थी। खसरा नम्बर 1135/1 व खसरा नम्बर 1135/4 पर अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं चाही थी पर अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर पूर्णरूप से गौर नहीं किया व अपने सम्पूर्ण आदेश में खसरा नम्बर 1135/1 व खसरा नम्बर 1135/4 व खसरा नम्बर 1135/3 की आराजी पर ही अपना सम्पूर्ण विवेचन किया है, जो खिलाफ तथ्य है व रेकार्ड है, जो गौर तलब है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर अपना विवेचन नहीं किया कि अपीलांट ने अपनी स्वयं की आराजी खसरा नम्बर 1135/2 की आराजी के हिस्से को रेस्पोडेंट/अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से पट्टे जारी कर आवंटन किया जा रहा है। इस तरह अपीलांट का प्राइमाफेसाई है व अपीलांट को असुविधा होगी व अपरिमित हानि होगी, पर इन बिन्दुओं को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गम्भीरता पूर्वक नहीं लिया है जो गौर तलब है। अधीनस्थ न्यायालय ने दौराने सुनवाई खसरा नम्बर 1135/1 व खसरा नम्बर 1135/4 की आराजी का सीमाज्ञान की रिपोर्ट तहसीलदार डग से प्राप्त की पर अपीलांट के खातेदारी की खसरा नम्बर 1135/2 के सीमाज्ञान की रिपोर्ट प्राप्त नहीं करवायी जबकि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1135/2 व सीमाज्ञान भी अपीलांट की अनुपस्थिति में कराया गया है । अपीलांट को मौके पर बुलाकर उसके समक्ष सीमाज्ञान नहीं कराया गया। इस तरह सीमाज्ञान रिपोर्ट एकतरफा है जिस पर अपने आदेश को आधारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है जो गौर तलब है व आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेंट प्रतिवादी अप्रार्थी विकास के नाम पर अपीलांट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 1135/2 पर अवैध रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध उसकी खसरा नम्बर 1135/4 की आराजी की आड में पट्टे जारी करने पर आमादा है इससे अपीलांट को अपरिमित नुकसान होगा व असुविधा होगी व नये पट्टे धारियों से मुकदमेंबाजी में उलझना पड़ेगा जो गौर तलब है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एकपक्षीय आदेश की जद में आता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त भूमि जिसके बारे में दौराने वाद अस्थायी निषेधाज्ञा चाही थी उसकी पैमाईश/सीमाज्ञान रिपोर्ट तलब नहीं की है जो गौर तलब है व अपीलांट प्रकरण की विस्तृत सुनवाई का हकदार है जो गौर तलब है। अगर दौराने वाद रेस्पोडेंट/अप्रार्थी/प्रतिवादी ने अपीलांट की विवादग्रस्त आराजी में अन्य व्यक्तियों को पट्टे जारी पर काबिज करा दिया तो अपीलांट का वाद प्रस्तुत

करना ही व्यर्थ हो जावेगा व काफी परेशानी भुगतनी पड़ेगी व्यर्थ लडाई झगडे बढेगे। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के तीन आधार प्राईमाफैसाई केस, सुविधा का संतुलन व अपरिमित हानि पर कोई विवेचन नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट/वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायलय का आदेश दिनांक 03.08.2022 निरस्त फरमाया जावे व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोडेंट स्वीकार फरमाया जाने की कृपा करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी मेरे खाते की है। वादग्रस्त आराजी के पास ग्राम पंचायत की खसरा नम्बर 1135/4 की आराजी स्थित है। ग्राम पंचायत ने बिना पैमाईश कराये अपनी आराजी के साथ साथ हमारी आराजी में भी प्लाट काट दिये जिसका ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट ने राजस्थान पंचायत राज्य अधिनियम सेक्शन 109 का पालना नहीं किया। वादग्रस्त आराजी मेरे खातेदारी की आराजी है जिसमें ग्राम पंचायत को पट्टे देने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौराने कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड ग्राम डग, तहसील डग, जिला झालावाड में खसरा नम्बर 135 की आराजी के कुल 5 भाग हो रहे है। अपीलान्ट के खाते व कब्जे में खसरा नम्बर 1135/3 की 1 बीघा 15 बिस्वा आराजी आयी है। जबकि खसरा नम्बर 1135/1 की आराजी को खाता सरकार अंकित किया हुआ है और खसरा नम्बर 1135/4 रकबा 1 बीघा आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते व कब्जे में दर्ज की गयी है। इस संबंध में तहसीलदार डग की रिपोर्ट में अंकित किया हुआ है। अपीलान्ट उसके खाते व कब्जे की आराजी 1135/3 की 1 बीघा 15 बिस्वा की आड लेकर जबरन लगवा जमीन ग्राम पंचायत डग खसरा नम्बर 1135/4 की 1 बीघा आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहती है। उक्त उद्देश्य की नियत से अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 मय धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रस्तुत किया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट दिनांक 25.11.2021 में उपरोक्त आराजियों का स्पष्ट विवरण किया हुआ है और खसरा नम्बर 1135/4 की 1 बीघा आराजी से अपीलान्ट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है और न ही अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राईमाफेसाई केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति मानी है, इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र उचित एवं विधिवत तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात् खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

अपीलान्ट की ओर से उनके द्वारा प्रस्तुत वाद 188 आर. टी. एक्ट मय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र 212 को प्रस्तुत करने से पूर्व ग्राम डग को राजस्थान पंचायत राज्य अधिनियम सेक्शन 109 पेज 68–69 एवं आर. एल. डब्ल्यू. 2014 वोल्यूम 1 पेज 844 से 848 तक प्रस्तुत है और नोटिस दिये जाने का ग्राम पंचायत के विरूद्ध आवश्यक प्रावधान है। जिसकी पूर्ति किये बिना ही अपीलान्ट के द्वारा उक्त वाद मय स्थायी निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया है, जो नोटिस के आवश्यक प्रावधान जिसकी अवधि 2 माह निश्चित है, उसके पश्चात् ही अपीलान्ट के द्वारा दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। परन्तु उनके द्वारा आवश्यक प्रावधानों की पालना किये बिना ही दावा मय अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया था और उक्त दावा प्रस्तुत कर दिया इस कारण से उक्त वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण कानूनन निरस्त होने योग्य था। अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित एवं विधिवत तथ्यों की पालना करते हुए अपीलान्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र कानूनन खारिज किया गया है जिसमें भी किसी प्रकार के संशोधन या परिवर्तन किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलान्ट की ओर से उनके द्वारा प्रस्तुत वाद 188 आर. टी. एक्ट मय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र 212 को प्रस्तुत करने से पूर्व ग्राम पंचायत डग को राजस्थान पंचायत राज्य अधिनियम सेक्शन 109 पेज 68–69 एवं आर. एल. डब्ल्यू. 2014 वोल्यूम 1 पेज 844 से 848 तक प्रस्तुत है।

अतः रेस्पोडेन्ट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य–नजर रखते हए अपील अपीलान्ट सव्यय सहित निरस्त फरमायी जाने की कृपा करें।

राजस्थान पंचायत राज्य अधिनियम सेक्शन 109 पेज 68–69

धारा 109– पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के विरुद्ध वाद आदि.–(1) किसी पंचायती राज. संस्था के विरुद्ध या उसके किसी भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध या किसी पंचायती राज. संस्था या उसके किसी भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी पदीय हैसियत में इस अधिनियम के अधीन की गयी या किये जाने के लिए तात्पर्यत किसी भी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य सिविल कार्यवाही –

(क) तब तक संस्थित नहीं की जायेगी जब तक कि वाद हैतुक, आशयित वादी के नाम और निवास स्थान और उस अनुतोष की प्रकृति का, जिसका वह दावा करता है, कथन करने वाला लिखित नोटिस उसके कार्यालय पर परिदत्त कर दिये या छोड़ दिये जाने के या यथापूर्वोक्त किसी सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति के मामले में उसके कार्यालय पर या उसके सामान्य निवास स्थान पर परिदत्त कर दिये या छोड़ दिये जाने के, पश्चात् दो मास समाप्त न हो गये हों, और वाद में, ऐसे प्रत्येक मामले में, यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार परिदत्त कर दिया या छोड़ दिया गया है, या

(ख) यदि वह स्थावार संपत्ति की वसूली के लिए या उसके हक की किसी घोषणा के लिए कोई वाद न हो, तो अभिकथित वाद हेतुक के प्रोद्भूत होने के पश्चात् के छह मास के भीतर से अन्यथा संस्थित नहीं की जायेगी ।

(2) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस, जब वह किसी पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के लिए आशयित हो तो क्रमशः सरपंच, विकास अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सम्बोधित होगा ।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1135 के कुल 5 भाग है जो कमशः 1135 रकबा 1.15 बीघा संतोषबाई पत्नी कृष्ण गोपाल वर्मा, जाति धोबी खसरा नम्बर 1135/1 रकबा 0.02 बीघा खाता सरकार खसरा नम्बर 1135/2 रकबा 1.15 बीघा कालीबाई पुत्री उदा, जाति मेघवाल 1135/3 रकबा 1.15 बीघा दयाराम व नारायण लाल पिता रूग्गा, जाति मेघवाल, खसरा नम्बर 1135/4 गै. मु. आबादी ग्राम पंचायत डग के खाते दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में सलंग्न तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1135 के 1/3 भाग पर कालीबाई पुत्री उदा व 1/3 भाग पर नारायणलाल दयाराम पुत्र रूग्गा, जाति मेघवाल काबिज है। रिपोर्ट से जाहिर होता है कि अपीलार्थी अपने खाते की भूमि से भी अधिक भूमि पर काबिज है तथा निषेधाज्ञा की आड में अपने अतिक्रमण को सुरक्षित रखना चाहती है। अपीलार्थी को यह आंशका की उसकी भूमि में ग्राम पंचायत पट्टे देना चाहती है काल्पनिक है क्योंकि पट्टे आबादी भूमि पर ही दिये जा सकते हैं किसी की कृषि भूमि पर नहीं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2022 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

09/02/2024

(दीप्ति प्रेमचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा